v/;k; 3

foRrh; fjiksfVZx

सुसंगत एवं विश्वसनीय सूचनाओं के साथ एक मजबूत आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग राज्य सरकार द्वारा दक्ष एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण रूप से योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ–साथ इनकी अनुपालन स्थिति पर समयबद्ध एवं गुणात्मक प्रतिवेदन, इस प्रकार अच्छे प्रशासन की विशिष्टियों में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी एवं परिचालित है, तो यह राज्य सरकार को अपनी आधारभूत प्रबंधन उत्तरदायित्वों सहित नीतिगत योजनाओं एवं निर्णय–प्रबंधन के निर्वहन में सहायता प्रदान करता है। यह अध्याय वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 miHkksx izek.k&i=ksa dks izLrqr u fd;k tkuk

3.1.1 राज्य सरकार के नियमों (वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड 5 भाग 1 का प्रस्तर 369–एच) में वर्णित है कि, जहाँ विशिष्ट उद्देश्यों के लिये सहायता अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं, संबंधित विभागीय अधिकारी द्वारा अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण–पत्र प्राप्त कर सत्यापन के पश्चात् महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिये। उपभोग प्रमाणपत्रों के अप्रस्तुतीकरण के कारण जारी किये गये सहायता अनुदानों का उनके विशिष्ट उद्देश्यों पर उपभोग सुनिश्चित किया जाना कठिन होता है। 31 मार्च 2015 तक अप्राप्त उपभोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति Lkj.kh 3-1 में दी गई है।

Lkj.kh 3-1% vizkIr miHkksx izek.k&i=ksa dh fLFkfr

vof/k	vizkIr miHkksx izek.k&i=ksa dh la[;k	/kujkf'k (₹ djksM+ esa)
2012-13 तक	3,86,669	87,986.34
2013-14	24,870	17,583.69
2014-15	19,640	22,173.35
;ksx	**4,31,179**	**1,27,743.38**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

Lkj.kh से स्पष्ट है कि अधिक संख्या में पर्याप्त धनराशि के उपभोग प्रमाण–पत्र, वर्ष 2014–15 के अंत तक लम्बित थे।

3.2 foLr`r vkdfLed fcy

उत्तर प्रदेश ट्रेजरी मैनुअल के प्रस्तर 62 के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को डेबिट करते हुए संक्षिप्त आकस्मिक (ए0सी0) देयक द्वारा धनराशि आहरित करने के लिए प्राधिकृत हैं। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा आहरित धनराशि के उपभोग के पश्चात् विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) देयक समर्थित अभिलेखों सहित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत किये जाने

चाहिए। दीर्घकाल तक समर्थित विस्तृत आकस्मिक देयकों का अप्रस्तुतीकरण संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के अन्तर्गत व्यय को अपारदर्शी बनाता है।

31 मार्च 2015 को ₹ 236.62 करोड़ की धनराशि के 5,985 संक्षिप्त आकस्मिक देयक विस्तृत आकस्मिक देयकों के अभाव में लम्बित थे। वर्षवार विवरण lkj.kh 3-2 में दी गई है।

lkj.kh 3-2% vlek;kftr lf{kIr vkdfLed n;d

vof/k	vkgfjr ,-lh- fcy		31 ekpZ 2015 rd izkIr Mh-lh- fcy		31 ekpZ 2015 dk vfuLrkfjr ,-lh- fcy	
	l[;k	/kujkf'k (₹ djksM+ esa)	l[;k	/kujkf'k (₹ djksM+ esa)	l[;k	/kujkf'k (₹ djksM+ esa)
2012-13 तक	34,047	706.45	28,593	642.58	5,454	63.87
2013-14	498	38.56	390	14.18	108	24.38
2014-15	764	160.72	341	12.35	423	148.37
;kx	**35,309**	**905.73**	**29,324**	**669.11**	**5,985**	**236.62**

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

वर्ष 2014–15 में ₹ 160.72 करोड़ धनराशि के आहरित 764 ए0सी0 बिलों के सापेक्ष 66 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, जिनकी धनराशि ₹ 31.70 करोड़ थी, मार्च 2015 में आहरित किये गये, जिनमें 35 संक्षिप्त आकस्मिक देयक, दिनांक 24 और 31 मार्च 2015 के मध्य आहरित किये गये, जिनकी धनराशि ₹ 6.70 करोड़ थी, सम्मिलित थी। मार्च माह में तथा विशेष रूप से मार्च माह के अन्तिम सप्ताह में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यय करना, प्राथमिक रूप से बजट का पूर्ण उपभोग करना और बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है।

3.3 foHkkxh; okf.kT;d miØe

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों द्वारा निर्धारित प्रारूप में वित्तीय परिचालन एवं व्यवसाय में दक्षता संबंधी कार्यकारी परिणाम दर्शाते हुए प्रतिवर्ष निर्धारित प्रारूप में प्रोफॉर्मा लेखा बनाया जाता है। इन लेखों को लेखा–बन्दी के माह से तीन माह के अन्दर लेखापरीक्षा हेतु महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

राज्य में मार्च 2015 तक इस प्रकार के नौ उपक्रम थे। इनमें से तीन उपक्रमों ने अद्यतन प्रोफॉर्मा लेखे तैयार नहीं किये थे। विभागवार लेखों के बकाये का विवरण *ifjf'k"V 3-1* में दिया गया है। स्टेट फार्मेसी ऑफ आयुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिन (बिना किसी निवेश के) द्वारा (वर्ष 2014–15 तक) अपने लेखे वर्ष 1990–91 से तैयार नहीं किये गये थे। राज्य पशुधन सह कृषि फार्म जिसमें ₹ 24.85 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2011–12 से 2014–15 की अवधि के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे। इसी प्रकार, खाद्यान्न की सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें ₹ 2,617.93 करोड़ का निवेश किया गया था, के वर्ष 2012–13 से 2014–15 के प्रोफार्मा लेखे तैयार नहीं किये गये थे।

फलस्वरूप, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों में निवेशित धनराशि लेखापरीक्षा/राज्य विधायिका की जांच से परे थी।

3.4 yfEcr i:dj.kk dh fjikfV:x

वित्तीय नियमों के प्रस्तर 82 के अनुसार, हानि एवं गबन के प्रकरणों को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (जी. एण्ड एस.एस.ए.), उ0प्र0, इलाहाबाद को, उन प्रकरणों सहित जिसमें उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा क्षतिपूर्ति कर दी गयी हो, अविलम्ब प्रेषित किये जाने चाहिए।

वर्ष 2014–15 की अवधि तक, इस प्रकार के 139 प्रकरण निस्तारण हेतु लम्बित थे जिनमें ₹ 8.85 करोड़ (₹ 884.60 लाख) की धनराशि निहित थी। विभागवार लम्बित प्रकरणों का विवरण एवं उनका अवधिवार विश्लेषण *ifjf'k"V 3-2* में दिया गया है। ऐसे प्रकरणों की प्रकृति का विवरण भी *ifjf'k"V 3-3* में दिया गया है। परिशिष्टियों में दिये गये अवधिवार लम्बित प्रकरणों को lkj.kh 3-3 में सारांशीकृत किया गया है।

lkj.kh 3-3% yfEcr i:dj.kk dh fLFkfr

vof/kokj yfEcr i:dj.k			yfEcr i:dj.kk dh i:dfr		
vof/k ¼o"kk e½	i:dj.kk dh l:[;k	lfEefyr /kujkf'k ¼₹yk[k e½	i:dj.kk dh i:dfr	i:dj.kk dh l:[;k	lfEefyr /kujkf'k ¼₹yk[k e½
0-5	13	175.19	चोरी	65	42.90
5-10	21	220.48			
10-15	12	28.27	दुर्विनियोग	08	58.73
15-20	36	70.69			
20-25	17	23.42	हानियां	23	171.27
25 और इससे अधिक	40	366.55	गबन	43	611.70
;kx	**139**	**884.60**	;kx	**139**	**884.60**

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि ₹ 891.23 लाख, के 142 प्रकरणों (31 मार्च 2014 तक) में से ₹ 6.63 लाख के तीन प्रकरण वर्ष 2014–15 में निस्तारित/बट्टे खाते में डाल दिये गये थे ¼*ifjf'k"V 3-4*½ एवं अवशेष 139 प्रकरण जिसमें ₹ 884.60 लाख की धनराशि निहित थी, मार्च 2015 तक lkj.kh 3-4 में दिये गये विभिन्न कारणों से लम्बित थे।

lkj.kh 3-4% yfEcr i:dj.kk d dkj.k

foyEc@vo'k"k i:dj.kk dk dkj.k		i:dj.kk dh l:[;k	/kujkf'k ¼₹ yk[k e½
i	विभागीय एवं आपराधिक जाँच प्रतीक्षित है	27	189.67
ii	विभागीय जाँच प्रारम्भ की गयी परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	74	541.63
iii	आपराधिक कार्यवाही पूरी की गयी परन्तु धनराशि की वसूली की प्रक्रिया के प्रकरण लम्बित हैं	2	4.58
iv	वसूली या अपलेखन के आदेश अपेक्षित हैं	12	7.99
v	माननीय न्यायालयों में लम्बित	24	140.73
	;kx	**139**	**884.60**

(स्रोत: सम्बन्धित विभागों के अभिलेख)

3.5 y?kq y[kk 'kh"kZ&^800^ dk ifjpkyu

लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां/अन्य व्यय का केवल तभी परिचालन किया जाना उचित है जब समुचित लघुशीर्षों की लेखे में उपलब्धता न हो। लघु शीर्ष 800 का नियमित

परिचालन हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों की पारदर्शिता को कम करता है।

यद्यपि वर्ष 2014–15 के दौरान लघु शीर्ष 800–अन्य व्यय के अन्तर्गत, सम्बन्धित विभिन्न मुख्य शीर्षों (राजस्व एवं पूंजीगत) के अन्तर्गत ₹ 31,126.17 करोड़ के व्यय अभिलेखित किये गये जो राजस्व एवं पूंजीगत शीर्षों के समस्त व्यय, ₹ 2,24,324.60 करोड़, का लगभग 13.88 *प्रतिशत* हैं। इसी प्रकार विभिन्न मुख्य शीर्षों के प्राप्ति पक्ष में ₹ 35,718.28 करोड़ लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों के अन्तर्गत अभिलेखित किये गये, जो कुल राजस्व प्राप्तियों, ₹ 1,93,421.60 करोड़, का लगभग 18.47 *प्रतिशत* था। ऐसे उदाहरण जहाँ प्राप्तियों एवं व्यय के महत्वपूर्ण भाग (मुख्य लेखाशीर्ष के अन्तर्गत कुल प्राप्तियों/व्यय का 50 *प्रतिशत* या अधिक) लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियों/व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किये गये थे, का विवरण *ifjf'k"V 3-5* एवं *3-6* में दिया गया है एवं lkj.kh 3-5 में सारांशीकृत किया गया है।

lkj.kh 3-5% y?kq y[kk 'kh"kZ&800 ds vUrxZr ^vU; izkfIr;k* ,oa ^vU; O;;* dk n'kkZ;k tkuk

fooj.k	izkfIr;k		O;;	
	/kujkf'k (₹djksM+ esa)	y?kq[kk'kh"kZ	/kujkf'k (₹djksM+ esa)	y?kq[kk'kh"kZ
100 *प्रतिशत* एवं अधिक	1,116.61	1452, 0801, 0217, 0023, 0810, 0506, 1456, 0852, 0575, 0415, 0875, 0047	14,366.48	4401, 2245, 2801, 2040, 5053, 4070, 2705, 4859, 5425, 4853, 4047, 2407, 2885, 2041
75 *प्रतिशत* एवं 99 *प्रतिशत* के मध्य	8,150.60	0235, 0851, 0075, 0406, 1055, 0071, 0029, 1053 0230, 0059, 1054, 0220, 0211, 0403	2,578.65	3475, 4575, 4235, 2425
50 *प्रतिशत* एवं 74 *प्रतिशत* के मध्य	23,383.19	1601, 0056, 0055, 0070, 0700	5,224.72	2405, 4217, 4216, 3452, 2211
;ksx	**32,650.40**		**22,169.85**	

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

परिणामस्वरूप, शासन के विभिन्न कार्यक्रमों/क्रियाकलापों के अन्तर्गत किये गये व्यय जो लघु शीर्ष '800–अन्य व्यय' के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे, वित्त लेखे 2014–15 में उचित लेखाशीर्षों के अन्तर्गत अलग से दर्शाये नहीं जा सके।

लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियां/व्यय का उपयोग बजट बनाते समय उन मामलों में किया जाता है जहाँ योजना से संबंधित प्राप्तियों/व्यय के उपबन्धों के लिए विशिष्ट लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं होते हैं। तथापि, राज्य सरकार कई वर्षों से प्राप्तियों एवं व्यय के एक महत्वपूर्ण भाग को बहुप्रयोज्य लघुशीर्ष 800 के तहत पुस्तांकित करती रही है।

3.6 /kujkf'k;ksa dk dsUnzh; lM+d fuf/k esa gLrkarj.k u fd;k tkuk

वर्ष 2014–15 में केन्दीय सड़क निधि से अनुदान के लिए ₹ 200 करोड़ के बजट का प्रावधान था। इसके सापेक्ष वर्ष 2014–15 में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को केन्द्रीय सड़क निधि से ₹ 234.26 करोड़ निर्गत किये गये। निधि के संचालन सम्बन्धी दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अनुदान को राजस्व प्राप्तियों के रूप में मुख्य लेखा

शीर्ष 1601–सहायता अनुदान में लेखाबद्ध कर समतुल्य धनराशि लोक लेखे के मुख्य लेखा शीर्ष 8449–अन्य जमा 103–केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान में स्थानान्तरित कर राजस्व व्यय मुख्य लेखा शीर्ष 3054–सड़कें तथा सेतु के नामे डाली जानी चाहिये। यद्यपि, मुख्य लेखा शीर्ष 3054 में कोई भी बजट प्रावधान न होने के कारण कोई भी धनराशि मुख्य लेखा शीर्ष 8449–103 लोक लेखे में स्थानान्तरित नहीं की गई। पुनश्च, वर्ष 2014–15 के दौरान लोक लेखे में उपरोक्त लेखा शीर्ष में सड़कें एवं सेतु के सापेक्ष कोई भी व्यय लेखांकित नहीं किया गया, इसलिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गो के निर्माण हेतु निर्गत राशि ₹ 234.26 करोड़ के उपयोग को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

सरकार के द्वारा यह उल्लेख किया गया कि केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त अनुदान के सापेक्ष मुख्य लेखा शीर्ष 5054–सड़क और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत व्यय के लिए प्रावधान किया जाता है और व्यय किया जाता है जिससे राज्य के लेखे में इसे सम्पत्ति (निर्मित सड़कें) के रूप में प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जा सके। यद्यपि, राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि इस निधि से निर्मित सड़कों (सम्पत्तियाँ) का राज्य के लेखे में कोई प्रदर्शन नहीं हो पायेगा। राज्य सरकार का यह तर्क उपरिवर्णित केन्द्र सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

3.7 udn vo'k"k e fHkUurk

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अगणित एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किये गये राज्य सरकार के रोकड़ शेष में ₹ 45.54 करोड़ (निवल डेबिट) के अन्तर का मुख्य कारण एजेन्सी बैंकों द्वारा आँकड़ों का मिलान न किया जाना हैं। इसका मिलान किया जा रहा है।

3.8 o;fDrd tek [kkrk e fuf/k;k dk vUrj.k

उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेजर खाता नियमावली– 1998 के प्रस्तर 4 के अनुसार राज्य सरकार महालेखाकार की सलाह पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिये वैयक्तिक जमा खाता खोलने हेतु प्राधिकृत है। निर्दिष्ट प्रशासकों को इन वैयक्तिक जमा खातों में निधियों, को अन्तरित कर परिचालन हेतु अधिकृत किया जाता है, जो राज्य के समेकित निधि (सेवा मुख्य शीर्षों) के सापेक्ष व्यय के रूप में अंकित किया जाता है। इन वैयक्तिक जमा खातों को आगामी वित्तीय वर्ष के अन्तिम तिथि को बन्द किये जाने एवं शेष धनराशि को सरकारी लेखे में वापसी आवश्यक है। तथापि, राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया। विवरण lkj.kh 3-6 में दिया गया है।

lkj.kh 3-6% o;fDrd tek [kkrk dh fLFkfr

ikjfEHkd vo'k"k (01.04.2014)		o"k 2014&15 e [kkyk x;k [kkrk dh l[;k		o"k 2014&15 e cn fd;k x;k [kkrk dh l[;k		vfUre vo'k"k (31.03.2015)	
[kkrk dh l[;k	lfEefyr /kujkf'k (₹ djkM+ e)	[kkrk dh l[;k	lfEefyr /kujkf'k (₹ djkM+ e)	[kkrk dh l[;k	lfEefyr /kujkf'k (₹ djkM+e)	[kkrk dh l[;k	lfEefyr /kujkf'k (₹ djkM+e)
1459	5,868.25	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1,459	5,868.25

(स्रोतः वित्त लेखे वर्ष 2014–15)

राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1,459 वैयक्तिक जमा खातों में से 1,051 परिचालित और 408 अपरिचालित हैं। धनराशि ₹ 94.38 करोड़ के अवशेष वाले

अपरिचालित खाते बन्द किये जाने अपेक्षित हैं। राज्य सरकार के द्वारा कहा गया है कि अपरिचालित खातों को बन्द किये जाने की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

अग्रेतर, राज्य के 79 कोषागारों में से 50 ने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) को सूचित किया है कि उनके द्वारा रखरखाव किये गये 878 वैयक्तिक जमा खातों का मिलान वर्ष 2014–15 के दौरान किया गया है। शेष 29 कोषागारों के द्वारा मिलान की स्थिति सम्बन्धित कोषागारों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गयी।

3.9 fn;s x, vuqnku@_.k ds fooj.k dk vizLrqrhdj.k

लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 में यह प्रावधानित है कि सरकार एवं सहायक अनुदान स्वीकृत करने वाले विभागाध्यक्षों द्वारा, ऐसी संस्थाओं/संगठनों, जिन्हें विगत वित्तीय वर्ष में ₹ 10 लाख या अधिक की वित्तीय सहायता दी गयी थी, अनुदान की राशि प्रदर्शित करते हुए, जिस उद्देश्य हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया था एवं संस्थाओं/संगठनों के कुल व्यय का एक विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक उपलब्ध कराया जाना चाहिए ताकि नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के अधीन सम्पन्न की जाने वाली लेखापरीक्षा के लिये उनकी पहचान की जा सके। यद्यपि, इस प्रकार का कोई विवरण लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया।

3.10 fu"d"kZ ,oa laLrqfr;k

yfEcr mi;ksfxrk izek.k&i=

- वर्ष 2014–15 के अंत तक बड़ी संख्या (4,31,179) में उपभोग प्रमाण–पत्र अनुदान प्राप्तकर्ताओं से प्राप्त होने शेष थे।

संस्तुतिः अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए।

foLr`r vkdfLed fcy

- कुल मिलाकर 5,985 ए.सी. बिल जिसकी धनराशि ₹ 236.62 करोड़ थी, 31 मार्च 2015 तक असमायोजित थे।

संस्तुतिः सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि में ए.सी. बिल का समायोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

pksjh] gkfu ,oa nqfoZfu;ksx ds izdj.k

- चोरी, हानि एवं दुर्विनियोग, के कुल 139 प्रकरण थे, जिनमें ₹ 884.60 लाख की धनराशि सन्निहित थी।

संस्तुतिः सरकार द्वारा दुर्विनियोग, चोरी इत्यादि के प्रकरणों की जांच में शीघ्रता लायी जानी चाहिए तथा ऐसे प्रकरणों को पुनर्घटित होने से रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत किया जाना चाहिए।

cgqi;kT; y?kq 'kh"kZ ^800* dk ifjpkyu

- लघुशीर्ष '800–अन्य प्राप्तियां/व्यय' के अंतर्गत लेखांकित अत्यधिक धनराशियों का वर्गीकरण वित्तीय रिपोर्टिंग का पूर्ण स्वरूप प्रस्तुत नहीं करता है।

संस्तुतिः सरकार द्वारा लघुशीर्ष 800 के नियमित परिचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह लेखों को अपारदर्शी बनाता है।

पी. के. कटारिया

¼ih0 d0 dVkfj;k½
प्रधान महालेखाकार (जी0 एण्ड एस0एस0ए0)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 01 जनवरी 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

शशिकान्त शर्मा

¼'kf'k dkUr 'kekZ½
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 0 4 जनवरी 2016